Neutral Citation No. - 2026:AHC:127913

सुरक्षित **06.05.2026**

दिया गया **18.06.2026**

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

धारा **482** के अंतर्गत आवेदन संख्या **- 752/2022**

संजय सरोज उर्फ संजय कुमार .....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य .....प्रत्यर्थीगण

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमित डागा, रमेश चंद्र

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अरविंद कुमार भारद्वाज, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या **- 45**

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र द्वारा सहायतित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार भारद्वाज तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रबिन्द्र कुमार सिंह को सुना।
2. वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 640/2019, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 376, 323, 504 एवं 506 से उद्भूत वाद संख्या 793/2021 (सीएनआर संख्या यूपीएडी040449212020) (राज्य बनाम संजय सरोज) की संपूर्ण कार्यवाही सहित आरोप पत्र दिनांकित 08.01.2020 एवं संज्ञान आदेश/समन आदेश दिनांकित 04.09.2021 को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की गई है।
3. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वर्तमान मामले की प्रत्यर्थी संख्या 2/पीड़िता 'के' द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जो दिनांक 10.08.2019 को 15.01 बजे थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज में मुकदमा अपराध संख्या 640/2019, धारा 376, 323, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पीड़िता 'के' जिला प्रतापगढ़ की स्थायी निवासी है और वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से वर्ष 2014 में प्रयागराज आई थी। आवेदक, जो पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था, ने

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

उसका प्रवेश दिलाने में मदद की और उसके बाद वे एक-दूसरे के संपर्क में रहे। यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2014 में आवेदक द्वारा विवाह के झूठे वादे पर शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे। यह आरोप लगाया गया है कि जब भी पीड़िता ने आवेदक से विवाह का अपना वादा पूरा करने का अनुरोध किया, तो आवेदक ने उसके साथ मारपीट की। दिनांक 10.08.2019 को जब पीड़िता ने पुनः आवेदक से विवाह करने के लिए कहा, तो उसने उसके साथ मारपीट की और उसके जीवन को खतरा पहुँचाने की धमकी दी।

4. विवेचना अधिकारी ने विवेचना शुरू की और दिनांक 12.08.2019 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिए गए अपने पूर्व बयान को दोहराया और कहा कि जब पीड़िता प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रयागराज आई थी, तब आवेदक ने उसकी मदद की थी और वह उसके किराए के कमरे में रहता था। उसने आगे आरोप लगाया कि आवेदक द्वारा विवाह का झूठा वादा किया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। दस दिन पहले, पीड़िता को आवेदक द्वारा उसके कमरे पर बुलाया गया था, और जब आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह के मुद्दे पर चर्चा हुई, तो आवेदक ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की। आवेदक और पीड़िता के बीच कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ था, इसलिए पीड़िता ने आवेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

5. पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या तैयार की गई, तथापि, पीड़िता के शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं देखी गई। आवेदक ने दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 22979/2019 योजित की, जिसका सूचनाकर्ता द्वारा इस तर्क के साथ पुरजोर विरोध किया गया कि यद्यपि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह संपन्न हुआ था, परंतु याची/आवेदक पीड़िता के साथ अपनी पत्नी के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा था और उसे वैसा उचित सम्मान नहीं दे रहा था जैसा कि एक विवाहित पत्नी को दिया जाना चाहिए और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट के कानूनी परिणामों से बचने के लिए केवल एक दिखावा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इस न्यायालय की खंडपीठ ने आदेश दिनांकित 19.11.2019 द्वारा याची/आवेदक को संरक्षण प्रदान किया और दं.प्र.सं. की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस आख्या प्रस्तुत होने तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

6. विवेचना के दौरान, सूचनाकर्ता/पीड़िता को दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज करने हेतु विद्वान मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और दिनांक 27.11.2019 को विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया गया। पीड़िता ने दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा कि आवेदक, जो पीड़िता का दूर का रिश्तेदार था, ने विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और आवेदक द्वारा एक अश्लील वीडियो भी बनाया गया तथा उस अश्लील वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। पीड़िता द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि आवेदक के रिश्तेदारों की उपस्थिति में एक दिखावटी विवाह संपन्न हुआ था। आवेदक द्वारा एक कागज़ पर पीड़िता के पिता के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गए थे। उससे विवाह करने के बाद आवेदक ने उसे छोड़ दिया। दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद, विवेचना अधिकारी ने दिनांक 22.12.2019 को दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत पीड़िता का दूसरा बयान दर्ज किया, जिसमें उसने दावा किया कि एक झूठा विवाह संपन्न हुआ था। विवेचना अधिकारी ने पीड़िता के पिता का बयान दर्ज किया और दिनांक 08.01.2020 को केवल आवेदक के विरुद्ध धारा 376, 323, 504

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

एवं 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांकित 04.09.2021 द्वारा अपराध का संज्ञान लिया।

7. आवेदक-अभियुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा का यह तर्क है कि पीड़िता द्वारा एक झूठी और मनगढ़ंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने दावा किया था कि विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया गया था। यह पीड़िता का स्वीकृत मामला है कि वह पिछले पाँच वर्षों से आवेदक के संपर्क में थी, जो यह साबित करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एक टूटे हुए रिश्ते का परिणाम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तब दर्ज कराई गई जब उनके बीच बातें नहीं बनीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की तारीख, समय और स्थान का कोई उल्लेख नहीं है जहां पहली बार कथित बलात्कार का अपराध किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अभिकथनों में तथा दं.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत विवेचना अधिकारी को दिए गए उसके बयानों में और दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत अपना बयान दर्ज कराते समय मजिस्ट्रेट को दिए गए बयानों में पीड़िता का विवरण बदलता रहा।

8. आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि विवेचना अधिकारी ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि बयान विशिष्ट विवरणों से रहित हैं। पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई और वह पाँच वर्ष की अवधि तक सहमतिजन्य संबंध में थी। पीड़िता एक बालिग लड़की थी, जिसकी आयु लगभग 29 वर्ष थी, जैसा कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि उसकी जन्म तिथि 15.07.1990 थी। आवेदक स्नातकोत्तर था और जब वह पीड़िता के संपर्क में आया तब वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। आवेदक और पीड़िता के बीच एक-दूसरे के प्रति आपसी पसंद और लगाव विकसित हुआ, और उसके बाद उन्होंने एक-दूसरे के साथ का आनंद लिया और संपर्क में रहे। आवेदक नौकरी हासिल नहीं कर सका और इसलिए पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ रहा। पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के बाद, पीड़िता ने आवेदक पर उससे विवाह करने के लिए अनुचित दबाव डाला। उक्त मुद्दे पर उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया और पीड़िता नाराज हो गई तथा उसने आवेदक के विरुद्ध एक झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात, दोनों पक्षों के माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों की उपस्थिति में आर्य समाज मंदिर, कृष्णा नगर, प्रयागराज में दिनांक 27.08.2019 को आवेदक और पीड़िता का विवाह संपन्न हुआ था और पीड़िता ने अपने जवाबी शपथ पत्र में इस विवाह से इनकार नहीं किया है। आवेदन के साथ विवाह के छायाचित्र और प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं। आवेदक द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद पीड़िता अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं है और उसने वैवाहिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, बल्कि उसने आवेदक के विरुद्ध दर्ज अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट की पैरवी जारी रखी।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि अभिलेखों से पता चलता है कि पीड़िता 'के' वर्ष 2014 से आवेदक के साथ रिश्ते में थी। तथापि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पूर्व, उसने कभी भी आवेदक के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसके बावजूद कि उसका आरोप था कि बलात्कार की पहली घटना वर्ष 2014 में हुई थी जब पीड़िता की आयु लगभग 24 वर्ष थी। उसने दिनांक 10.08.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जब उनके बीच संबंध बिगड़ गए। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई देरी का कोई स्पष्टीकरण पीड़िता द्वारा नहीं दिया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह दिनांक

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

27.08.2019 को संपन्न हुआ था। इस प्रकार किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक द्वारा विवाह का किया गया वादा झूठा था या धोखे पर आधारित था अथवा रिश्ते की शुरुआत से ही आवेदक का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। पीड़िता एक उच्च शिक्षित और परिपक्व महिला है और उसके पास एम.ए., एलएल.बी. एवं बी.एड. की डिग्री है। यह कल्पना से परे है कि पीड़िता ने विवाह के झूठे वादे के कारण आवेदक के साथ संबंध बनाए रखे या आवेदक द्वारा उसे शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया था, अतः आवेदक के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध नहीं बनता है। पीड़िता द्वारा कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया है कि आवेदक का पीड़िता के साथ कथित संबंधों की शुरुआत से ही कोई कपटपूर्ण इरादा था, इसलिए आवेदक के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमित डागा द्वारा आगे यह तर्क दिया गया कि यह बिना किसी चोट का मामला है। अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि पीड़िता को किसी भी समय किसी भी मुद्दे पर आवेदक द्वारा कभी परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया या पीटा गया हो। इस प्रकार आरोप पूरी तरह से झूठे हैं, मनगढ़ंत प्रतीत होते हैं और उनमें कोई विश्वसनीयता नहीं दिखती है। भा.दं.सं. की धारा 504 एवं 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के गठन के लिए आवश्यक बुनियादी तत्व भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुख्य भाग के साथ-साथ पीड़िता सहित गवाहों के बयानों में गायब हैं। इसके अलावा, उक्त धाराएं औपचारिक प्रकृति की हैं। चूंकि भा.दं.सं. की धारा 376, 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के गठन के लिए आवश्यक बुनियादी तत्व प्रथम सूचना रिपोर्ट के मुख्य भाग के साथ-साथ पीड़िता सहित गवाहों के बयानों में गायब हैं, अतः आरोप पत्र के रूप में विवेचना अधिकारी द्वारा निकाला गया अंतिम निष्कर्ष कानून की नज़र में टिकने योग्य नहीं है। इसलिए आवेदक के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही जारी रखना न्याय की विफलता के समान होगा।

11. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार भारद्वाज तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रबिन्द्र कुमार सिंह ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि आवेदक पिछले पाँच वर्षों से लगातार पीड़िता का शोषण कर रहा था। आवेदक ने खुद को बचाने के लिए पीड़िता को विवाह का आश्वासन दिया, जो शुरू से ही एक झूठा आश्वासन था। दिनांक 27.08.2019 को विवाह संपन्न होने के बाद, आवेदक ने पीड़िता को अपनी ससुराल में रहने की अनुमति नहीं दी। विवाह के इस झूठे वादे के आधार पर पीड़िता के साथ पिछले पाँच वर्षों से लगातार बलात्कार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा तब दर्ज कराई गई जब उसे पता चला कि आवेदक उसके साथ विवाह संपन्न नहीं करेगा। आवेदक ने पीड़िता का जीवन बर्बाद कर दिया है और विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार किया है। जब पीड़िता ने आवेदक से संपर्क किया, तो उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। विवेचना अधिकारी को आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त सामग्री मिली है और प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा दं.प्र.सं. की धारा 161 और 164 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयानों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। इसलिए वर्तमान आवेदन में कोई मेरिट नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

12. मैंने पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुना है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"
Translated version. Not for Legal Use.

13. वर्तमान आवेदन में विचारणीय बिंदु यह है कि क्या विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी द्वारा एकत्र की गई अभिलेखीय सामग्री, जिसमें पीड़िता के बयान भी शामिल हैं, आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया बलात्कार का मामला बनाती है, अथवा कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान होगा।

14. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तब दर्ज कराई जब उसकी आयु लगभग 29 वर्ष थी और उसमें आरोप लगाया कि वह वर्ष 2014 में आवेदक के संपर्क में आई थी। दोनों के बीच एक-दूसरे के प्रति आपसी पसंद और लगाव विकसित हुआ और उसके बाद वे संपर्क में रहे। प्रथम सूचना रिपोर्ट उन घटनाओं की तारीख, समय और स्थान के संबंध में मौन है जहाँ विवाह के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार किया जा रहा था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां पीड़िता अपरिपक्व उम्र की थी, जो अपनी भलाई का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती थी और सही निर्णय नहीं ले सकती थी। वह उन नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और बुद्धिमान थी जिनके लिए उसने अपने संबंधों के अस्तित्व के दौरान सहमति दी थी। यह न्यायालय पाता है कि किसी भी प्रकार से यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता ने किसी तथ्य की भ्रांति के तहत यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति दी थी। पीड़िता और आवेदक पिछले पाँच वर्षों से घनिष्ठ संबंध में रहे और इस दौरान उन्होंने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच कई बार यौन संबंध स्थापित किए, परंतु जब उसके साथ पहली बार कथित बलात्कार का कृत्य किया गया था, तब पीड़िता द्वारा कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। इसलिए, एकमात्र तार्किक निष्कर्ष जो निकलता है, वह यह है कि पीड़िता अपनी मर्जी से हर अवसर पर अभियुक्त-आवेदक से मिलने जाती थी और मिलती थी। पाँच वर्षों की लंबी अवधि के दौरान, पीड़िता अभियुक्त द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में तब तक पूरी तरह चुप रही जब तक कि उसे यह पता नहीं चला कि अभियुक्त-आवेदक उससे विवाह नहीं करने जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संभोग के पहले कथित कृत्य और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने तक पाँच वर्षों के निरंतर संबंधों के बीच पाँच वर्षों का लंबा अंतराल, इस न्यायालय को आश्वस्त करता है कि यह एक प्रेम संबंध के बिगड़ने का स्पष्ट मामला है।

15. सबसे पहले, यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या इस न्यायालय द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 या दं.प्र.सं. की धारा 482, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आरोप पत्र को निरस्त किया जा सकता है।

16. दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त करने के मुद्दे पर विधिक स्थिति सुस्थापित है कि किसी परिवाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट या आरोप-पत्र को निरस्त करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। तथापि, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप और अभिलेख पर मौजूद सामग्री, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं, वहाँ दं.प्र.सं. की धारा 482 / बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में आरोप-पत्र को निरस्त किया जा सकता है। एआईआर **1992** एससी **605** हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम चौधरी भजन लाल में रिपोर्ट किए गए सुप्रसिद्ध निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट या कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है, परंतु आगाह किया है कि

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

प्रथम सूचना रिपोर्ट या कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग संयम से और वह भी दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:-

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न है, किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट नहीं करती है, जिससे संहिता की धारा *155(2)* के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संहिता की धारा *156(1)* के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना का औचित्य बनता हो।

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए अप्रमाणित आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध का घटित होना प्रकट नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां संहिता की धारा *155(2)* के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विवेचना की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभाव्य हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है।

(6) जहां दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करने और उसे जारी रखने के लिए संहिता या संबंधित अधिनियम *(*जिसके अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की गई है*)* के किसी भी प्रावधान में स्पष्ट विधिक रोक सन्निहित है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्षकार की शिकायत के प्रभावी निवारण की व्यवस्था करता है।

(7) जहां कोई दाण्डिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और/या जहां अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से तथा दुर्भावनापूर्ण ढंग से निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से कार्यवाही संस्थित की गई है।*"*

*(*बल दिया गया*)*

17. **2009 (1)** एससीसी **516** में रिपोर्ट किए गए आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता एवं अन्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:-

"(1) उच्च न्यायालय सामान्यतः किसी दाण्डिक कार्यवाही और विशेष रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें निहित आरोप, भले ही अंकित मूल्य पर लिए जाएं और उनकी संपूर्णता में सही माने जाएं, किसी संज्ञेय अपराध को प्रकट न करते हों।

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use.

(2) उक्त उद्देश्य के लिए, न्यायालय, अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज को नहीं देखेगा।

(3) ऐसी शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप किसी अपराध के घटित होने को प्रकट करते हैं, तो न्यायालय उससे आगे नहीं जाएगा और किसी आपराधिक मंशा या आपराधिक कृत्य के अभाव को मानने के लिए अभियुक्त के पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

(4) यदि आरोप किसी दीवानी विवाद को प्रकट करता है, तो यह अपने आप में यह मानने का आधार नहीं हो सकता कि दाण्डिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

18. कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा [कर्नाटक राज्य बनाम एम. देवेंद्रप्पा, **(2002) 3** एससीसी **89; 2002** एससीसी **(**दाण्डिक**) 539]** में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। धारा के अंतर्गत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र यद्यपि व्यापक है, फिर भी इसका प्रयोग संयम से, सावधानी से और सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसा प्रयोग स्वयं धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया गया हो। आगे न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"6. ... ऐसी किसी भी कार्रवाई की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में रुकावट आएगी। शक्तियों के प्रयोग में न्यायालय किसी भी कार्यवाही को निरस्त करने के लिए उचित होगा यदि वह पाता है कि इसे शुरू करना/जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान है या इन कार्यवाहियों को निरस्त करना अन्यथा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। जब परिवाद द्वारा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकता है। जब किसी परिवाद को निरस्त करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखना अनुमेय है कि परिवादी ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनता है, भले ही आरोपों को पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाए।"

*(*बल दिया गया*)*

19. विनीत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **(2017) 13** एससीसी **369** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"41. दं.प्र.सं. की धारा *482* के अंतर्गत उच्च न्यायालय को दी गई अंतर्निहित शक्ति न्याय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुचित उद्देश्य से न्यायालय की औपचारिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है, तो न्यायालय को शुरुआत में ही इस प्रयास को विफल करना होगा। ... न्यायिक प्रक्रिया एक गंभीर प्रक्रिया है जिसे उत्पीड़न या प्रताड़ना के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब यह इंगित करने के लिए सामग्री मौजूद हो कि कोई दाण्डिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से शुरू की गई है, तो उच्च न्यायालय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा। **"**

दं.प्र.सं. की धारा *482* के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में संकोच नहीं करेगा। ... वर्तमान मामला एक उपयुक्त मामला है जहां उच्च न्यायालय को दं.प्र.सं. की धारा *482* के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था और दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त करना चाहिए था।"

(बल दिया गया)

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दं.प्र.सं. की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं, परंतु इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक और दुर्लभ से दुर्लभतम तथा उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए। यह शक्ति मनमर्जी और सनक के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और इसका उपयोग कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
21. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वर्तमान मामला दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, वर्तमान मामले के तथ्यों के साथ-साथ इस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर विचार करना समीचीन होगा।
22. महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, **(2024) 11** उच्चतम न्यायालय निर्णय **398** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि जहाँ महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, वहाँ निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से विवाह के कथित वादे के कारण था। एक महिला के पास विवाह के वादे के अलावा शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुरुष साथी के लिए व्यक्तिगत पसंद। महेश दामू खरे **(उपर्युक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"*27.* हमारे विचार में, यदि किसी पुरुष पर विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने का आरोप है और यदि उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाना है, तो ऐसा कोई भी शारीरिक संबंध सीधे किए गए झूठे वादे से जुड़ा होना चाहिए और अन्य परिस्थितियों या विचारों द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। एक महिला के पास पुरुष द्वारा किए गए विवाह के वादे के अलावा शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि औपचारिक वैवाहिक संबंधों पर जोर दिए बिना पुरुष साथी के लिए व्यक्तिगत पसंद।

28. इस प्रकार, ऐसी स्थिति में जहाँ महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखा जाता है, निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से अपीलार्थी द्वारा उससे विवाह करने के कथित वादे के कारण था। इस प्रकार, जब तक यह नहीं दिखाया जा सकता कि शारीरिक संबंध विशुद्ध रूप से विवाह के वादे के कारण था, और इस प्रकार किसी अन्य विचार से प्रभावित हुए बिना शारीरिक संबंध के साथ सीधा संबंध था, यह नहीं कहा जा सकता कि तथ्य की भ्रांति के तहत सहमति दूषित हुई थी।"

23. प्रशांत बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य, **(2025) 5** उच्चतम न्यायालय निर्णय **764** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि यह अकल्पनीय है कि परिवादी

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अभियुक्त से मिलना जारी रखेगी या उसके साथ लंबे समय तक जुड़ाव या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी। प्रशांत (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"*18.* यह अकल्पनीय है कि परिवादी अपनी ओर से स्वैच्छिक सहमति के अभाव में अपीलार्थी से मिलना जारी रखेगी या उसके साथ लंबे समय तक जुड़ाव या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी। इसके अलावा, अपीलार्थी के लिए परिवादी के आवासीय पते का पता लगाना असंभव होता, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, जब तक कि ऐसी जानकारी परिवादी द्वारा स्वयं स्वेच्छा से प्रदान न की गई हो।

19. इससे यह भी पता चलता है कि, एक समय पर, दोनों पक्षों का एक-दूसरे से विवाह करने का इरादा था, यद्यपि यह योजना अंततः सफल नहीं हो सकी। अपीलार्थी और परिवादी सहमतिजन्य संबंध में थे। वे दोनों शिक्षित वयस्क हैं। परिवादी ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद वर्ष *2020* में किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया। इसी प्रकार, अपीलार्थी का भी वर्ष *2019* में विवाह हो गया था। संभवतः वर्ष *2019* में अपीलार्थी के विवाह के कारण ही परिवादी ने उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि वे तब तक सहमतिजन्य संबंध में थे।

20. हमारे विचार में, प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्र के आरोपों को जैसा वे हैं वैसा ही लेने पर, भा.दं.सं. की धारा *376(2)(एन)* के अंतर्गत अपराध के महत्वपूर्ण तत्व अनुपस्थित हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट और दं.प्र.सं. की धारा *164* के अंतर्गत परिवादी के बयान की समीक्षा से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि *2017* में उनके रिश्ते की शुरुआत में विवाह का कोई वादा किया गया था। इसलिए, भले ही अभियोजन पक्ष के मामले को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार कर लिया जाए, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परिवादी केवल अपीलार्थी के विवाह के किसी आश्वासन के कारण ही अपीलार्थी के साथ यौन संबंध में संलग्न हुई थी। दोनों पक्षों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण थे और सहमतिजन्य प्रकृति के भी थे। एक सहमति देने वाले जोड़े के बीच रिश्ते का केवल टूट जाना दाण्डिक कार्यवाही शुरू करने का कारण नहीं बन सकता। पक्षों के बीच शुरुआती चरणों में जो सहमतिजन्य संबंध था, उसे तब आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता जब उक्त संबंध वैवाहिक संबंध में परिणत नहीं होता है। इसके अलावा, दोनों पक्ष अब किसी अन्य से विवाहित हैं और अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। इस प्रकार, हमारे विचार में, वर्तमान मामले में अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग होगा। इसलिए, अभियोजन जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"

24. इसके अतिरिक्त, माननीय उच्चतम न्यायालय ने समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **2528** के मामले में टिप्पणी की कि उसने कई अवसरों पर उस चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जिसमें विफल या टूटे हुए रिश्तों को आपराधिक रंग दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने के कारण, केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती, या स्वतंत्र सहमति का अभाव मौजूद हो। प्रत्येक बिगड़े हुए रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और घोर अन्याय भी

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"
Translated version. Not for Legal Use.

थोपता है। ऐसे उदाहरण केवल व्यक्तिगत कलह के दायरे से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग न्यायपालिका के लिए गहरी चिंता का विषय है जो पहले से ही भारी बोझ का सामना कर रही है और यह निंदनीय है। समाधान (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"28. हम पाते हैं कि वर्तमान मामला ऐसा मामला नहीं है जहाँ अपीलार्थी ने केवल शारीरिक सुख के लिए प्रत्यर्थी संख्या *2* को लुभाया और फिर गायब हो गया। यह संबंध तीन लंबे वर्षों की अवधि तक जारी रहा, जो कि काफी लंबा समय है। वे करीब रहे और भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। ऐसे मामलों में, एक चलते हुए रिश्ते के दौरान हुई शारीरिक अंतरंगता को पूर्वव्यापी प्रभाव से केवल इसलिए बलात्कार के अपराध के रूप में चिह्नित नहीं किया जा सकता क्योंकि रिश्ता विवाह में परिणत होने में विफल रहा।

29. इस न्यायालय ने कई अवसरों पर उस चिंताजनक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया है जिसमें विफल या टूटे हुए रिश्तों को आपराधिक रंग दिया जाता है। बलात्कार का अपराध, अत्यंत गंभीर प्रकृति का होने के कारण, केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहाँ वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती, या स्वतंत्र सहमति का अभाव मौजूद हो। प्रत्येक बिगड़े हुए रिश्ते को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है बल्कि अभियुक्त पर अमिट कलंक और घोर अन्याय भी थोपता है। ऐसे उदाहरण केवल व्यक्तिगत कलह के दायरे से परे हैं। इस संबंध में आपराधिक न्याय तंत्र का दुरुपयोग गहरी चिंता का विषय है और निंदनीय है।"

25. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **2025 (4)** एससीसी **197** में अभिनिर्धारित किया कि जहाँ एक महिला किसी पुरुष के साथ उसकी प्रकृति से पूरी तरह अवगत होते हुए स्वेच्छा से दीर्घकालिक संबंध में संलग्न होती है, और यह दिखाने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि ऐसा संबंध तथ्य की भ्रांति या शुरुआत से ही दुर्भावना से किए गए विवाह के झूठे वादे से प्रेरित था, तो पुरुष को भा.दं.सं. की धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"33. इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्ष *2006* के बाद से परिवादी और अपीलार्थी अलग-अलग शहरों में रह रहे थे। परिवादी एक शिक्षित महिला है और उस पर ऐसा कोई दबाव नहीं था जो उसे अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से रोक सकता था यदि उसे लगता कि यौन संबंध दबाव में थे या विवाह के झूठे आश्वासन के तहत स्थापित किए जा रहे थे। कई अवसरों पर, उसने खुद को अपीलार्थी की पत्नी के रूप में भी चित्रित किया, जिससे इस आरोप का खंडन होता है कि अपीलार्थी का इरादा रिश्ते की शुरुआत से ही उसे धोखा देने का था।

34. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं रह सकते कि अधिकतर परिवादी ही थी जो अपीलार्थी से मिलने उसके पदस्थापन स्थल पर जाती थी। इसलिए, हम आश्वस्त हैं कि परिवादी और अपीलार्थी के बीच संबंध किसी भी धोखे या भ्रांति के तत्व के बिना सहमतिजन्य थे।

35. इसके अलावा, परिवादी द्वारा वन स्टॉप सेंटर, ललितपुर में *23* मार्च, *2022* को दायर किए गए आवेदन से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि वह *2006* से अपीलार्थी के साथ सहमतिजन्य संबंध में थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जब उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हें विवाह कर लेना चाहिए और साथ रहना चाहिए, तो अपीलार्थी ने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया और

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version. Not for Legal Use

उसे पीटा। यदि इस आरोप में जरा भी सच्चाई होती तो इस घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए थी। तथापि, जब परिवादी को यह जानकारी मिली कि अपीलार्थी किसी अन्य महिला से विवाह कर रहा है, तो उसके विवाह को रोकने के प्रयास में उसने वन स्टॉप सेंटर में उपरोक्त शिकायत दर्ज कराई जिसमें उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपीलार्थी के समान ही दोषी थी और इसलिए उसका विवाह रोका जाना चाहिए।

36. इसके अलावा, दं.प्र.सं. की धारा *161* के अंतर्गत परिवादी द्वारा दिए गए बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसे वर्ष *2020-2021* में अपीलार्थी और नम्रता के बीच संबंधों के बारे में पता चला था। इस प्रकार, जब परिवादी को पता था कि अपीलार्थी ने उसके साथ संबंध तोड़ लिए हैं और किसी अन्य महिला के साथ रिश्ते में शामिल था, तो उसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पीछे हटने का कोई कारण नहीं था।

.... *39.* इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि पीड़िता ने स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए रखने पर सहमति दी है तो अभियुक्त बलात्कार के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना है कि एक पीड़िता अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण के कारण संभोग करने के लिए सहमत हो सकती है।"

26. माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिव शंकर बनाम कर्नाटक राज्य, **(2019) 18** एससीसी **204** के मामले में इस आधार पर दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया था कि आठ वर्षों तक चले रिश्ते के दौरान हुए संभोग को 'बलात्कार' मानना कठिन है, विशेष रूप से तब जब परिवादी ने स्वयं आरोप लगाया था कि वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे। शिव शंकर (उपर्युक्त) का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"4. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को बनाए रखना कठिन है, जिसने संभवतः परिवादी से विवाह का झूठा वादा किया हो। तथापि, आठ वर्षों तक चले रिश्ते के दौरान हुए संभोग को *'बलात्कार'* मानना कठिन है, विशेष रूप से परिवादी के अपने इस आरोप के सामने कि वे पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे।"

(बल दिया गया)

27. माननीय उच्चतम न्यायालय ने नईम अहमद बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), **(2023) 15** उच्चतम न्यायालय निर्णय **385** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि पीड़िता ने भी विवाह के आश्वासन पर अभियुक्त के साथ यौन संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी। पीड़िता, जो स्वयं तीन बच्चों की विवाहित महिला थी, ने शिकायत दर्ज कराने तक कम से कम लगभग पाँच वर्षों तक अभियुक्त के साथ ऐसा संबंध जारी रखा था। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"21. प्रत्यर्थियों की ओर से उठाया गया मुख्य विवाद का बिंदु यह है कि पीड़िता ने तथ्य की भ्रांति के तहत यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, क्योंकि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का झूठा वादा किया था और बाद में उसने विवाह नहीं किया, और इसलिए ऐसी सहमति कानून की नजर में कोई सहमति नहीं थी और मामला भा.दं.सं. की धारा *375* के खंड द्वितीय के अंतर्गत आता है। इस संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अभियुक्त द्वारा झूठा वादा करने और वादे को तोड़ने के बीच अंतर

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**
Translated version. Not for Legal Use.

होता है। झूठे वादे के मामले में, अभियुक्त का शुरू से ही पीड़िता से विवाह करने का कोई इरादा नहीं होता और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पीड़िता से विवाह करने का झूठा वादा करके उसे धोखा दिया होता है, जबकि वादे को तोड़ने के मामले में, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वादा पूरी गंभीरता से किया हो, और बाद में उसके सामने कुछ ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां आई हों या ऐसी परिस्थितियां जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, जिन्होंने उसे अपना वादा पूरा करने से रोक दिया। इसलिए, विवाह के वादे के प्रत्येक उल्लंघन को झूठा वादा मानना और किसी व्यक्ति पर धारा *376* के अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाना एक भूल होगी। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक मामला न्यायालय के समक्ष उसके साबित तथ्यों पर निर्भर करेगा।

22. वर्तमान मामले में, पीड़िता जो स्वयं तीन बच्चों वाली एक विवाहित महिला थी, के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथित झूठे वादे के तहत या अपीलार्थी के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति देते समय तथ्य की भ्रांति के तहत कार्य किया था। निर्विवाद रूप से, उसने वर्ष *2015* में शिकायत दर्ज कराने तक कम से कम लगभग पाँच वर्षों तक उसके साथ ऐसा संबंध जारी रखा। भले ही न्यायालय के समक्ष उसके बयान में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए, फिर भी ऐसे आरोपों को अपीलार्थी द्वारा "बलात्कार" के रूप में व्याख्यायित करना मामले को बहुत अधिक खींचना होगा। एक विवाहित महिला और तीन बच्चों की माँ होने के नाते पीड़िता उस कृत्य के नैतिक या अनैतिक स्वरूप के महत्व और परिणामों को समझने के लिए पर्याप्त परिपक्व और बुद्धिमान थी जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। इसके अलावा भी, यदि अभियुक्त के साथ ऐसे संबंध के दौरान उसके संपूर्ण आचरण को बारीकी से देखा जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अभियुक्त के साथ संबंध बनाकर अपने पति और तीन बच्चों को धोखा दिया था, जिसके प्रति उसके मन में पसंद विकसित हो गई थी। वह अपने पति के साथ अपने विवाह के अस्तित्व के दौरान अभियुक्त के साथ बेहतर जीवन जीने के लिए उसके साथ रहने गई थी। जब तक वह वर्ष *2011* में अभियुक्त द्वारा गर्भवती नहीं हुई, और उसने अभियुक्त से एक पुत्र को जन्म नहीं दिया, तब तक उसे अभियुक्त के विरुद्ध विवाह का झूठा वादा करने या उसे धोखा देने की कोई शिकायत नहीं थी। उसने वर्ष *2012* में अभियुक्त के मूल स्थान का भी दौरा किया और उसे पता चला कि वह एक विवाहित व्यक्ति था और उसके बच्चे भी थे, फिर भी वह बिना किसी शिकायत के दूसरे परिसर में अभियुक्त के साथ रहती रही। उसने *2014* में अपने तीन बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर अपने पति से आपसी सहमति से तलाक भी ले लिया। यह केवल वर्ष *2015* में हुआ जब उनके बीच कुछ विवाद हुआ होगा, तब उसने वर्तमान शिकायत दर्ज कराई। अभियुक्त ने दं.प्र.सं. की धारा *313* के अंतर्गत दर्ज अपने अतिरिक्त बयान में कहा था कि उसने शिकायत इसलिए दर्ज कराई क्योंकि उसने उसे भारी राशि का भुगतान करने की उसकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता ने तथ्य की भ्रांति के तहत अपीलार्थी के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी, जिससे कि अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा *375* के अर्थ के भीतर बलात्कार का दोषी ठहराया जा सके।"

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

28. प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, **2026** एससीसी ऑनलाइन एससी **154** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालयों को उक्त अपराध के आवश्यक तत्वों की पहचान करके भा.दं.सं. की धारा 376(2)(एन) के अंतर्गत दायर वास्तविक मामलों की पहचान करने में अत्यंत सतर्क और सावधान रहना होगा। ऐसे वास्तविक मामलों को उस मुकदमेबाजी से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो विवाद और असहमति या भविष्य में विचार बदलने के कारण सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमतिजन्य संबंधों के कटु हो जाने के मामलों से उत्पन्न होती है। प्रमोद कुमार नवरत्न (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

18. इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह सुस्थापित किया गया है कि केवल यह तथ्य कि पक्षकारों ने विवाह के वादे के तहत शारीरिक संबंध बनाए, हर मामले में बलात्कार नहीं होगा। भा.दं.सं. की धारा *375* के अंतर्गत अपराध केवल तभी बन सकता है, जब अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल शुरुआत से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी इरादे के बिना यौन संबंधों के लिए सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था और ऐसे विवाह के झूठे वादे का पीड़िता द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर सीधा प्रभाव पड़ा था। विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और प्रथम सूचना रिपोर्ट की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या *213/2025* दिनांकित *06.02.2025* और आरोप पत्र संख्या *269/2025* से उद्भूत अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध चल रही दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार करने में सही था।

22. न्यायालयों को उक्त अपराध के आवश्यक तत्वों की पहचान करके भा.दं.सं. की धारा *376(2)(एन)* के अंतर्गत दायर वास्तविक मामलों की पहचान करने में अत्यंत सतर्क और सावधान रहना होगा, अर्थात् अभियुक्त द्वारा विवाह का वादा केवल यौन संबंधों के लिए सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से और शुरुआत से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी इरादे के बिना किया जाना चाहिए, और ऐसे विवाह के झूठे वादे का पीड़िता द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर सीधा प्रभाव पड़ा हो। ऐसे वास्तविक मामले जो अभियुक्त के अभियोजन के योग्य हैं, उन्हें उस मुकदमेबाजी से स्पष्ट रूप से अलग किया जाना चाहिए जो विवाद और असहमति या भविष्य में विचार बदलने के कारण सहमति देने वाले वयस्कों के बीच सहमतिजन्य संबंधों के कटु हो जाने के मामलों से उत्पन्न होती है। कानून की उपरोक्त स्थापित स्थिति के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी संख्या *1*-राज्य और परिवादी-प्रत्यर्थी संख्या *3* अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं जिससे यह पता चले कि अभियुक्त-अपीलार्थी बाद की मुलाकातों में परिवादी-प्रत्यर्थी संख्या *3* को विवाह के झूठे बहाने पर बार-बार फुसलाने और धोखा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में कैसे सफल रहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआती मुलाकातों के दौरान ही दोनों पक्ष पीड़िता की वैवाहिक स्थिति से अवगत थे और इसलिए किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी-प्रत्यर्थी संख्या *3* की सहमति अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा किए गए धोखे और गलत बयानी पर प्राप्त की गई थी या दूषित हुई थी।"

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

29. रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य, **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **1055** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि यदि दो सक्षम दिमाग वाले वयस्क लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने स्वेच्छा से सहमतिजन्य संबंध चुना था और बाद में विवाह के वादे को पूरा न करने से कोई अपराध आकर्षित नहीं होगा। रवीश सिंह राणा (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"10. तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी और दूसरी प्रत्यर्थी *(*सूचनाकर्ता*)* के बीच संबंध *2021* से थे। यह संबंध केवल एक-दूसरे को जानने का नहीं था, बल्कि एक किराए के मकान में एक छत के नीचे एक जोड़े के रूप में साथ रहने का था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप नहीं लगाया गया है कि शारीरिक संबंध केवल इसलिए स्थापित किया गया था क्योंकि विवाह का वादा था। इसके अलावा, बिना किसी शिकायत के दो वर्षों से अधिक समय तक शारीरिक संबंध जारी रहा। ऐसी परिस्थितियों में, दो वर्षों तक चले शारीरिक संबंध को शुरू करने और बनाए रखने के लिए एक वैध सहमति होने की उपधारणा उत्पन्न होगी।

14. वर्तमान मामले में भी, हम पाते हैं कि अपीलार्थी और दूसरी प्रत्यर्थी *(*सूचनाकर्ता*)* के बीच संबंध दो वर्षों से अधिक समय तक चला। इसके अतिरिक्त, वे न केवल एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध होने की बात स्वीकार करते हैं, बल्कि एक किराए के मकान में लिव-इन जोड़े के रूप में साथ रहने की बात भी स्वीकार करते हैं। हमारे विचार में, यदि दो सक्षम दिमाग वाले वयस्क दो वर्षों से अधिक समय तक एक लिव-इन जोड़े के रूप में साथ रहते हैं और एक-दूसरे के साथ सहवास करते हैं, तो यह उपधारणा उत्पन्न होगी कि उन्होंने इसके परिणामों से पूरी तरह अवगत होते हुए स्वेच्छा से उस प्रकार का संबंध चुना। इसलिए, यह आरोप कि ऐसा संबंध इसलिए बनाया गया था क्योंकि विवाह का वादा था, इन परिस्थितियों में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, विशेष रूप से तब जब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि यदि विवाह का वादा न होता तो ऐसा शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता।

15. इसके अलावा, एक लंबे समय से चले आ रहे लिव-इन संबंध में, ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां उस रिश्ते के पक्षकार विवाह की मुहर लगाकर इसे औपचारिक रूप देने की अपनी इच्छा या अभिलाषा व्यक्त करते हैं, परंतु इच्छा या अभिलाषा की वह अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का संकेत नहीं होगी कि संबंध उस इच्छा या अभिलाषा की अभिव्यक्ति का परिणाम था। एक या दो दशक पहले लिव-इन रिश्ते आम नहीं रहे होंगे। परंतु अब अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी शर्तों पर अपने जीवन की दिशा तय करने का सचेत निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। इस वित्तीय स्वतंत्रता ने, अन्य बातों के अलावा, ऐसे लिव-इन संबंधों के प्रसार को जन्म दिया है। इसलिए, जब इस प्रकृति का मामला न्यायालय के समक्ष आता है, तो उसे कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि न्यायालय ऐसे रिश्ते की अवधि और पक्षों के आचरण के आधार पर, इसे वैवाहिक बंधन में बदलने की उनकी इच्छा या अभिलाषा की परवाह किए बिना ऐसे संबंध में होने के लिए पक्षों की निहित सहमति की उपधारणा कर सकता है।"

30. माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, **(2019) 9** उच्चतम न्यायालय निर्णय **608** के मामले में अभिनिर्धारित किया कि जहाँ विवाह का वादा झूठा है और

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version- Not for Legal Use

वादा करते समय वादा करने वाले का इरादा ही उसका पालन न करने का था, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना था, वहाँ "तथ्य की भ्रांति" होती है जो महिला की "सहमति" को दूषित करती है। तथापि, केवल वादे को तोड़ना झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। इसलिए, झूठे वादे को साबित करने के लिए यह प्रदर्शित करना होगा कि वादा करने वाले का वादा करते समय अपनी बात पर कायम रहने का कोई इरादा नहीं था। प्रमोद सूर्यभान पवार (उपर्युक्त) का प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किया गया है:-

"16. जहाँ विवाह का वादा झूठा है और वादा करते समय ही वादा करने वाले का इरादा उसका पालन करने का नहीं था, बल्कि महिला को धोखा देकर उसे यौन संबंध बनाने के लिए राजी करना था, वहाँ *"*तथ्य की भ्रांति*"* होती है जो महिला की *"*सहमति*"* को दूषित करती है। दूसरी ओर, किसी वादे के उल्लंघन को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता। झूठा वादा साबित करने के लिए, वादा करने वाले का वादा करते समय अपनी बात पर कायम रहने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए था। धारा *375* के अंतर्गत एक महिला की *"*सहमति*" "*तथ्य की भ्रांति*"* के आधार पर दूषित होती है जहाँ ऐसी भ्रांति उक्त कृत्य में संलग्न होने के उसके चयन का आधार थी। दीपक गुलाटी के मामले में इस न्यायालय ने टिप्पणी की*:*

"21. .... केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर होता है। इस प्रकार, न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा शुरुआती चरण में विवाह का झूठा वादा किया गया था*;* और क्या इसमें शामिल सहमति यौन भोग की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह समझने के बाद दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ पीड़िता अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण के कारण संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष किए गए गलत बयानी के आधार पर, या जहाँ कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, पूरा इरादा होने के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ रहा। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।

......

24. अतः यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब सर्वोत्तम इरादे रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। *"*उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट न होने वाले कारणों से भविष्य की किसी अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता हमेशा तथ्य की भ्रांति के समान नहीं होती है। *"*तथ्य की भ्रांति*"* शब्द के अर्थ के भीतर आने के लिए, तथ्य की एक तात्कालिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भा.दं.सं. की धारा *90* की सहायता नहीं ली जा सकती, जिससे लड़की के कृत्य को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाए और दूसरे पर आपराधिक दायित्व डाल दिया जाए, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति आश्वस्त न हो कि शुरुआत से ही अभियुक्त का वास्तव में उससे विवाह करने का कभी कोई इरादा नहीं था।*"*

*(*बल दिया गया*)*

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version. Not for Legal Use

31.उदय बनाम कर्नाटक राज्य, **(2003) 4** एससीसी **46** में, जब अभियुक्त ने परिवादी से विवाह करने का वादा किया तब वह कॉलेज जाने वाली लड़की थी। पीड़िता जानती थी कि प्रस्तावित विवाह का दोनों परिवारों द्वारा कड़ा विरोध होगा। फिर भी उसने अभियुक्त के साथ संभोग किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि इन परिस्थितियों में, अभियुक्त द्वारा पीड़िता से विवाह करने का वादा परिवादी के अभियुक्त के साथ संभोग करने के निर्णय के लिए तात्कालिक प्रासंगिकता का नहीं था, जो अन्य कारकों से प्रेरित था। उदय (उपर्युक्त) का प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किया गया है:-

"25. एक और कठिनाई है जिसका अभियोजन पक्ष को इस मामले में सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकृति के मामले में भा.दं.सं. की धारा *90* के लागू होने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, यह दिखाया जाना चाहिए कि सहमति तथ्य की भ्रांति के तहत दी गई थी। दूसरी, यह साबित होना चाहिए कि सहमति प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पता था, या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सहमति ऐसी भ्रांति के परिणामस्वरूप दी गई थी। हमें गंभीर संदेह है कि विवाह के वादे ने पीड़िता को अपीलार्थी के साथ संभोग करने की सहमति देने के लिए प्रेरित किया था। वह जानती थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, कि जातिगत कारणों से अपीलार्थी के साथ उसका विवाह कठिन था। इस प्रस्ताव का दोनों परिवारों के सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध होना तय था। इसलिए एक स्पष्ट संभावना थी, जिसके बारे में वह पूरी तरह सचेत थी, कि अपीलार्थी के वादे के बावजूद विवाह बिल्कुल न हो पाए। प्रश्न फिर भी यह बना रहता है कि भले ही ऐसा था, क्या अपीलार्थी जानता था, या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था, कि पीड़िता ने उसके वादे पर आधारित इस विश्वास के परिणामस्वरूप ही उसके साथ संभोग करने की सहमति दी थी कि वे यथासमय विवाह कर लेंगे। इस तथ्य को साबित करने के लिए शायद ही कोई साक्ष्य हो। इसके विपरीत, मामले की परिस्थितियां इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि अपीलार्थी के पास यह विश्वास करने का कारण था कि पीड़िता द्वारा दी गई सहमति एक-दूसरे के प्रति उनके गहरे प्रेम का परिणाम थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वे एक-दूसरे से गहरा प्रेम करते थे। वे अक्सर मिलते थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने उसे ऐसी छूट दी थी, जो यदि दी भी जाए, तो केवल उसी व्यक्ति को दी जाती है जिससे कोई गहरा प्रेम करता है। यह भी महत्वहीन नहीं है कि पीड़िता रात *12* बजे चुपके से अपीलार्थी के साथ एक सुनसान जगह पर गई थी। ऐसे मामलों में आमतौर पर ऐसा होता है, जब दो युवा एक-दूसरे के प्यार में पागल होते हैं, तो वे एक-दूसरे से कई बार वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे विवाह करेंगे*......" (*बल दिया गया*)*

32.सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **(2021) 18** एससीसी **517** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट और कार्यवाही को निरस्त कर दिया कि अभियुक्त और पीड़िता के बीच संबंध सहमतिजन्य प्रकृति का था और पक्षकार डेढ़ वर्ष की अवधि तक रिश्ते में थे, तथा बाद में अभियुक्त ने पीड़िता से विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की थी जिसके कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

33.दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य, **(2013) 7** एससीसी **675** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

*"21. ....*केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच अंतर होता है। इस प्रकार, न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि क्या अभियुक्त द्वारा शुरुआती चरण में विवाह का झूठा वादा

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

किया गया था; और क्या इसमें शामिल सहमति यौन भोग की प्रकृति और परिणामों को पूरी तरह समझने के बाद दी गई थी। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ पीड़िता अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण के कारण संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उसके समक्ष किए गए गलत बयानी के आधार पर, या जहाँ कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था, या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, पूरा इरादा होने के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ रहा। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए......."

....

24. अतः यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होने चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही अभियुक्त का पीड़िता से विवाह करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब सर्वोत्तम इरादे रखने वाला व्यक्ति विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। "उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट न होने वाले कारणों से भविष्य की किसी अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता हमेशा तथ्य की भ्रांति के समान नहीं होती है। "तथ्य की भ्रांति" शब्द के अर्थ के भीतर आने के लिए, तथ्य की एक तात्कालिक प्रासंगिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में भा.दं.सं. की धारा *90* की सहायता नहीं ली जा सकती, जिससे लड़की के कृत्य को पूरी तरह से क्षमा कर दिया जाए और दूसरे पर आपराधिक दायित्व डाल दिया जाए, जब तक कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति आश्वस्त न हो कि शुरुआत से ही अभियुक्त का वास्तव में उससे विवाह करने का कभी कोई इरादा नहीं था।"

34. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिलीप सिंह बनाम बिहार राज्य, **(2005) 1** एससीसी **88** में यह अभिनिर्धारित करते हुए अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त किया और उसे बरी कर दिया कि यद्यपि विवाह के वादे का उल्लंघन हुआ था, किंतु यह विवाह के झूठे वादे का मामला नहीं था। प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

"35. शेष प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर यह उचित रूप से मानना संभव है कि अभियुक्त ने संभोग के लिए प्रेरित करने के कपटपूर्ण इरादे से विवाह का झूठा वादा किया था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वादा किया था और पीड़िता के उसके साथ शारीरिक अंतरंगता के लिए सहमत होने का यही मुख्य कारण था। अभियोजन साक्षी *12* भी उससे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक थी जैसा कि उसने विशेष रूप से कहा था। परंतु हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता जिससे यह उचित संदेह से परे निष्कर्ष निकले कि अभियुक्त का शुरुआत से ही उससे विवाह करने का कोई इरादा नहीं था और जो वादा उसने किया था वह उसकी जानकारी में झूठा था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से उभरने वाली कोई भी परिस्थिति इस तथ्य को स्थापित नहीं करती है। दूसरी ओर, अभियोजन साक्षी ***12*** का यह बयान कि बाद में अभियुक्त उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गया था, परंतु उसके पिता और अन्य लोग उसे गांव से दूर ले गए, यह इंगित करेगा कि अभियुक्त विवाह करने के वास्तविक इरादे से प्रेरित रहा होगा जो उसके परिवार के बुजुर्गों द्वारा डाले गए दबाव के कारण फलीभूत नहीं हुआ। यह विवाह के झूठे वादे के मामले के बजाय विवाह के वादे के उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है। इस पहलू पर भी, उदय मामले *[(2003) 4* एससीसी *46 : 2003* एससीसी (दाण्डिक) *775 : (2003) 2* स्केल *329]* के प्रस्तर *24* में इस न्यायालय की टिप्पणियां अपीलार्थी की सहायता करती हैं।"

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

(बल दिया गया)

35. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मनीष यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **363** में अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता और अभियुक्त तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम थे और उनके शुरुआती शारीरिक संबंध सहमतिजन्य प्रकृति के थे जो आपसी आकर्षण के आधार पर विकसित हुए थे और इसलिए, यह विवाह के वादे से उत्पन्न संबंध के दायरे में नहीं आ सकता। उपरोक्त मामले में, भा.दं.सं. की धारा 376, 323, 504 एवं 506 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(5ए) एवं 3(2)(वी) के अंतर्गत कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि कुछ मध्यवर्ती घटनाओं के कारण सहमतिजन्य संबंध बिगड़ गए थे। मनीष यादव (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"*14.* हमारी राय में, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपीलार्थी और परिवादी दोनों बालिग थे और इस प्रकार दोनों तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम थे। परिवादी के बयान *(उपर्युक्त)* के अनुसार, उनके शुरुआती शारीरिक संबंध सहमतिजन्य प्रकृति के थे, और अपीलार्थी द्वारा विवाह का कोई वादा किए बिना थे। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि शुरुआत में परिवादी और अपीलार्थी के बीच संबंध आपसी आकर्षण और स्नेह के आधार पर विकसित हुए थे, किंतु यह किसी भी तरह से विवाह के वादे से उत्पन्न होने वाले संबंध के दायरे में नहीं आ सकता।

18. उक्त सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करने पर, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान मामले में परिवादी अपनी इच्छा से अपीलार्थी के साथ अंतरंग संबंधों में शामिल होने के लिए सहमत हुई थी, न कि अपीलार्थी द्वारा किए गए विवाह के किसी झूठे वादे के आधार पर। इसलिए, यद्यपि वर्तमान मामले में वादे का उल्लंघन शामिल हो सकता है, किंतु यह विवाह के स्वाभाविक रूप से झूठे वादे का मामला नहीं बनता है। परिस्थितियों के आधार पर, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी ने विवाह के झूठे वादे के बहाने परिवादी से शारीरिक संबंध बनाने की सहमति प्राप्त की थी।

19. इस प्रकार, आरोप पत्र में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत यह सिद्धांत कि अपीलार्थी ने विवाह के झूठे वादे के तहत परिवादी को शारीरिक संबंधों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, अभिलेख पर उपलब्ध सर्वोत्तम साक्ष्य द्वारा न तो संपुष्ट है और न ही स्थापित है, जो कि दं.प्र.सं. की धारा *164* के अंतर्गत दर्ज परिवादी के बयान के रूप में है।

20. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हमारी राय है कि वर्तमान मामला ऐसा प्रतीत होता है जहाँ दो वयस्कों के बीच सहमतिजन्य शारीरिक संबंध कुछ मध्यवर्ती घटनाओं के कारण बिगड़ गए हैं। अतः ऊपर उल्लिखित अपराधों के लिए अपीलार्थी के अभियोजन की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया के सरासर दुरुपयोग के समान होगा और कुछ नहीं।"

36. एक अन्य हालिया निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नितिन बी. निखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या **1889/2024** से उद्भूत), निर्णय दिनांक 21.01.2025 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विवाह के वादे के तहत शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे, बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा जब तक कि यह साबित न हो जाए कि विवाह का वादा अभियुक्त द्वारा केवल शुरुआत से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी इरादे के

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use

बिना यौन संबंधों के लिए सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। नितिन बी. निखारे (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"5. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पीड़िता ने अपीलार्थी के साथ केवल इसलिए यौन संबंध बनाए क्योंकि उसने उससे विवाह करने का वादा किया था और यह संबंध कुछ समय तक जारी रहा और तब टूट गया जब विवाह का वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, पीड़िता का मुख्य आरोप यह है कि यदि अपीलार्थी द्वारा विवाह का वादा न किया गया होता तो वह उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाती और यह देखते हुए कि यह धोखाधड़ी द्वारा किया गया था, यह बलात्कार के समान है।

6. इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विवाह के वादे के तहत शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे, हर मामले में बलात्कार नहीं होगा। बलात्कार का अपराध बनने के लिए, दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है यानी कि विवाह का वादा अभियुक्त द्वारा केवल शुरुआत से ही उक्त वादे को पूरा करने के किसी इरादे के बिना यौन संबंधों के लिए सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, और विवाह के झूठे वादे का पीड़िता द्वारा यौन संबंधों के लिए अपनी सहमति देने पर सीधा प्रभाव पड़ा था। [देखें: प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2019) 9 एससीसी 608; महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 347]

7. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह शुरू से ही एक सहमतिजन्य संबंध का मामला था। यदि पीड़िता के मामले को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि विवाह का प्रारंभिक वादा दुर्भावनापूर्ण था। यह केवल बाद की परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने विवाह के कथित झूठे वादे को पूरा होने से रोका। परिणामस्वरूप, संबंध बिगड़ गए जिसने वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के दृष्टिगत, हम इसे ऐसा मामला नहीं मानते जहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान आकर्षित हो सकें।"

37. इसके अतिरिक्त, ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2019) 18** एससीसी **191** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

"23. इस प्रकार, बलात्कार और सहमति से बनाए गए यौन संबंध के बीच स्पष्ट अंतर है। न्यायालय को ऐसे मामलों में बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या परिवादी वास्तव में पीड़िता से विवाह करना चाहता था या उसके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे और उसने केवल अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाला कृत्य धोखाधड़ी या धोखे के दायरे में आता है। केवल वादे के उल्लंघन और झूठे वादे को पूरा न करने के बीच भी अंतर है। यदि अभियुक्त ने पीड़िता को यौन कृत्यों में शामिल होने के लिए फुसलाने के एकमात्र इरादे से वादा नहीं किया है, तो ऐसा कृत्य बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा मामला हो सकता है जहाँ पीड़िता अभियुक्त के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण के कारण संभोग करने के लिए सहमत होती है, न कि केवल अभियुक्त द्वारा उत्पन्न की गई भ्रांति के कारण, या जहाँ कोई अभियुक्त उन परिस्थितियों के कारण जिनका वह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था या जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं, पूरा इरादा होने के बावजूद उससे विवाह करने में असमर्थ रहा। ऐसे मामलों को अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। यदि परिवादी का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version. Not for Legal Use.

और यदि उसके गुप्त इरादे थे, तो यह बलात्कार का एक स्पष्ट मामला है। पक्षों के बीच स्वीकार किया गया सहमतिजन्य शारीरिक संबंध भा.दं.सं. की धारा *376* के अंतर्गत अपराध नहीं बनेगा।"

(बल दिया गया)

38. महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य, **(2020) 10** एससीसी **108** में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवाह के वादे के बारे में तथ्य की भ्रांति घटना के समय की निकटता में होनी चाहिए और इसे लंबी अवधि तक नहीं फैलाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है: "*13.* हमारे विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या पीड़िता ने अपीलार्थी द्वारा विवाह के वादे के संबंध में तथ्य की किसी भ्रांति के तहत शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी या उसकी सहमति विवाह के कपटपूर्ण गलत बयानी पर आधारित थी जिसे पूरा करने का अपीलार्थी का रिश्ते की शुरुआत से ही कोई इरादा नहीं था। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसने शुरुआत से ही जानबूझकर कपटपूर्ण गलत बयानी की थी और पीड़िता ने तथ्य की भ्रांति पर अपनी सहमति दी थी, तो भा.दं.सं. की धारा *375* के अंतर्गत बलात्कार का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य की प्रकृति में यह मानना संभव नहीं है कि अपीलार्थी ने शुरुआत में उसे किसी डर में डालकर उसकी सहमति प्राप्त की थी। भा.दं.सं. की धारा *90* के अंतर्गत चोट के भय के तहत दी गई सहमति कानून की नज़र में सहमति नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम पीड़िता के इस एकल बयान को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि पहले कथित अपराध के समय उसकी सहमति चोट के भय के तहत प्राप्त की गई थी।

14. भा.दं.सं. की धारा *90* के अंतर्गत, तथ्य की भ्रांति के तहत दी गई सहमति कानून की नज़र में कोई सहमति नहीं है। परंतु तथ्य की भ्रांति घटना के समय की निकटता में होनी चाहिए और इसे चार वर्ष की अवधि तक नहीं फैलाया जा सकता। इसके किसी विस्तार की शायद ही आवश्यकता है कि अपीलार्थी द्वारा सहमति उचित विचार-विमर्श के बाद उसके द्वारा लिया गया एक सचेत और सूचित निर्णय था, क्योंकि यह विरोध न करने की एक सचेत सकारात्मक कार्रवाई के साथ एक लंबी अवधि में फैला हुआ था। अपीलार्थी को लिखे अपने पत्रों में पीड़िता यह भी उल्लेख करती है कि इस रिश्ते को लेकर उसके घर में परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर झगड़े होते थे और उसके साथ मारपीट की जाती थी।

......

18. हमने वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार किया है और हमारा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी ने पक्षों के बीच शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई झूठा वादा या विवाह का जानबूझकर गलत बयानी नहीं की। पीड़िता स्वयं अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं के कारण उनके रिश्ते में आने वाली बाधाओं से अवगत थी। इस दृढ़ विश्वास के साथ एक सगाई समारोह भी आयोजित किया गया था कि सामाजिक बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा, परंतु दुर्भाग्य से इस बात पर भी मतभेद उत्पन्न हो गए कि विवाह चर्च में संपन्न होना था या मंदिर में और अंततः यह विफल हो गया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह मानना संभव नहीं है कि अपीलार्थी का शुरुआत से ही पीड़िता से कभी विवाह करने का इरादा नहीं था और उसने केवल उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए कपटपूर्वक गलत बयानी की थी। पीड़िता ने अपने पत्रों में स्वीकार किया कि अपीलार्थी का परिवार उसके प्रति हमेशा बहुत अच्छा था।"

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version. Not for Legal Use.

(बल दिया गया)

39. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक हालिया निर्णय में अमल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य, विशेष अनुमति याचिका (दाण्डिक) संख्या **10044/2024,** निर्णय दिनांक 26.05.2025 के मामले में, भा.दं.सं. की धारा 376, 376(2)(एन), 377, 504 एवं 506 के अंतर्गत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट से उद्भूत दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया, जहाँ पक्षकार 13 महीने की अवधि तक बाहर मिलते रहे और संभोग में लगे रहे। पीड़िता, 4 साल के बेटे की माँ, उस मामले में एक विवाहित महिला थी, जिसने अभियुक्त के साथ यौन संबंध में प्रवेश करते समय अपने पति से तलाक नहीं लिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"8. इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, निम्नलिखित बिंदु सामने आते हैं*:*

(क) भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों को परिस्थितियों के सही और सटीक चित्रण के रूप में लिया जाए, अभिलेख से यह प्रतीत नहीं होता कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* की सहमति उसकी इच्छा के विरुद्ध और केवल विवाह के आश्वासन पर प्राप्त की गई थी। अपीलार्थी और परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* दिनांक *08.06.2022* से परिचित थे, और वह स्वयं स्वीकार करती है कि वे अक्सर बातचीत करते थे और प्यार में पड़ गए थे। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* ने यह आरोप लगाते हुए शारीरिक संबंध बनाए कि अपीलार्थी ने उसकी सहमति के बिना ऐसा किया था, तथापि उसने न केवल *12* महीनों से अधिक समय तक अपना रिश्ता बनाए रखा, बल्कि दो अलग-अलग अवसरों पर लॉज में उससे मिलना जारी रखा। परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* का विवरण उसके आचरण से मेल नहीं खाता है।

(ख) भा.दं.सं. की धारा *90* के अंतर्गत परिभाषित परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* की सहमति को भी तथ्य की भ्रांति के तहत प्राप्त नहीं कहा जा सकता। उक्त वादे को पूरा करने के किसी इरादे के बिना यौन संबंधों के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी की ओर से "प्रलोभन या गलत बयानी" को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। विवेचना से यह भी पता चला है कि खुलानामा दिनांक *29.12.2022* को निष्पादित किया गया था जिसे परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* ने अपने पूर्व पति से प्राप्त किया था। इस दौरान दोनों पक्ष पहले से ही रिश्ते में थे और कथित घटना पहले ही हो चुकी थी। यह अकल्पनीय है कि परिवादी ने अपीलार्थी के साथ विवाह के आश्वासन पर शारीरिक संबंध बनाए, जबकि वह पहले से ही किसी अन्य से विवाहित थी। इसके अलावा भी, ऐसा वादा अपीलार्थी के लिए शुरू से ही अवैध और अप्रवर्तनीय था।

(ग) परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* के साथ कोई जबरदस्ती या चोट पहुंचाने की धमकी का कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे भा.दं.सं. की धारा *506* के अंतर्गत अपराध आकर्षित हो सके। यह असंभाव्य है कि अपीलार्थी द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* को कोई धमकी दी गई थी, जब पूरे समय संबंध सौहार्दपूर्ण थे, और केवल तब जब अपीलार्थी ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और अहमदनगर स्थित अपने गृहनगर के लिए रवाना हुआ, परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* उत्तेजित हो गई। हम बिना किसी सूचना के अपीलार्थी के मूल गाँव में जाने के परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* के आचरण को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो अस्वीकार्य भी है और परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* की उत्तेजित और घबराई हुई मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इसी कारण

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

से, अपीलार्थी के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन संभवतः एक अंतर्निहित उद्देश्य और असंतुष्ट मानसिक स्थिति के साथ है।

(घ) इस बात की भी कोई उचित संभावना नहीं है कि परिवादी/प्रत्यर्थी संख्या *2* या कोई भी महिला जो पहले से विवाहित हो और जिसका चार वर्ष का बच्चा हो, वह अपीलार्थी द्वारा धोखा खाती रहेगी या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़ाव या शारीरिक संबंध बनाए रखेगी जिसने उसका यौन उत्पीड़न और शोषण किया हो।

9. हमारे सुविचारित मत में, यह भी ऐसा मामला नहीं है जहाँ शुरुआत से ही विवाह का कोई झूठा वादा था। एक सहमतिजन्य संबंध का बिगड़ जाना या साथियों का दूर हो जाना राज्य की आपराधिक मशीनरी को लागू करने का आधार नहीं हो सकता। ऐसा आचरण न केवल न्यायालयों पर बोझ डालता है, बल्कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी व्यक्ति की पहचान पर कलंक लगाता है। इस न्यायालय ने बार-बार प्रावधानों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है, और विवाह के वादे के प्रत्येक उल्लंघन को झूठा वादा मानना और भा.दं.सं. की धारा *376* के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाना एक भूल कहा है।"

40. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य**, 2025 7** सुप्रीम **489** के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त कर दिया, जहाँ पीड़िता ने स्वयं को नाबालिग लड़की होने का दावा किया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके वयस्क होने पर दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विवाह का वादा और उसके बाद सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं होगा। कुणाल चटर्जी **(**उपर्युक्त**)** का निर्णय संक्षिप्त है, इसलिए संपूर्ण निर्णय नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"अनुमति प्रदान की गई।

इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा *417, 376, 506* सहपठित धारा *34* तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा *6* के अंतर्गत एक मामले में अभियुक्त है। परिवादी वह पीड़िता है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के समय बालिग थी, परंतु आरोप लगाती है कि वह नाबालिग थी और उसकी आयु *15* वर्ष थी, यानी तीन वर्ष से अधिक समय पहले, जब अपीलार्थी और पीड़िता के बीच सहमतिजन्य संबंध थे और अपीलार्थी द्वारा उससे विवाह करने का वादा करने के बाद परिवादी रिश्ते में रहने के लिए सहमत हुई थी। उसके बालिग होने के बाद, अपीलार्थी अपने वादे से मुकर गया और वर्तमान अपीलार्थी के माता-पिता द्वारा पीड़िता को अपमानित किया गया। इस प्रकार, पीड़िता न केवल अपीलार्थी के विरुद्ध, बल्कि उसके पिता, माता और चाचा के विरुद्ध भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश हुई। यह अभियोजन पक्ष का मामला है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का सार यह है कि वह स्वीकार्य रूप से उस समय रिश्ते में थी जब वह नाबालिग थी, और वह विवाह के वादे पर रिश्ते में आई थी। अतः बलात्कार का मामला बनता है, और वह भी एक बच्चे के बलात्कार का।

अभियुक्त ने प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया था। जहाँ तक अपीलार्थी के पिता, माता और चाचा का संबंध है, उच्च न्यायालय ने दं.प्र.सं. की धारा *482* के अंतर्गत कार्यवाही निरस्त कर दी थी। परंतु वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को जीवित रखा गया था। अब, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना कर रहा है

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए**,** निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**"**

Translated version. Not for Legal Use.

कि उसके विरुद्ध भी कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है। राज्य और परिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने 'बलात्कार' की परिभाषा पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि नाबालिग द्वारा दी गई सहमति कोई सहमति नहीं है और यह फिर भी बलात्कार होगा। हमारे सुविचारित मत में, जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा पीड़िता के नाबालिग होने पर बलात्कार किए जाने का संबंध है, अभियोजन पक्ष के पास बिल्कुल कोई साक्ष्य नहीं है, और निश्चित रूप से कोई फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला बनाने के लिए *03* वर्ष से अधिक समय बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह केवल एक आरोप है कि बलात्कार का ऐसा कृत्य तीन वर्ष पूर्व किया गया था जब वह नाबालिग थी। वह स्पष्ट रूप से यह भी कहती है कि उसने इस कृत्य के लिए सहमति दी थी क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विवाह का वादा किया गया था। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया है कि विवाह का वादा और उसके बाद सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं होगा और उसमें इसके कारण बताए गए हैं *(देखें:* पृथ्वीराजन बनाम राज्य, *2025* एससीसी ऑनलाइन एससी *696,* प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य, *(2019) 9* एससीसी *608,* महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड राज्य, *(2020) 10* एससीसी *108)*।

मामले के वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की प्रकृति के तहत, विशेष रूप से स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ लंबा विलंब यह संकेत देता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज वर्तमान दाण्डिक कार्यवाही कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है और उच्च न्यायालय को अपीलार्थी के मामले में भी अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था जैसा कि उसने शेष अभियुक्तों के लिए कार्यवाही को निरस्त करते समय किया था।

इन परिस्थितियों में, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त करते हैं, क्योंकि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया/किए जाता/जाते है/हैं।"

41. इसलिए, उपरोक्त निर्णयों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि पक्षकार लंबे समय से और निरंतर सहमतिजन्य शारीरिक संबंध में थे, जिसमें शुरुआत से ही धोखाधड़ी का कोई तत्व नहीं था, तो ऐसा संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा।

42. इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में मामलों में देखा है कि यह बढ़ती प्रवृत्ति है कि लंबे समय तक चलने वाले सहमतिजन्य संबंधों के बिगड़ने पर दाण्डिक न्यायशास्त्र का सहारा लेकर उन्हें आपराधिक रूप देने का प्रयास किया गया है।

43. इस प्रकार, उपरोक्त निर्णयों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवाह के प्रत्येक वादे को सहमतिजन्य संभोग के प्रयोजन के लिए तथ्य की भ्रांति नहीं माना जाएगा जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि ऐसा विवाह का वादा ऐसे रिश्ते की शुरुआत से ही अभियुक्त की ओर से विवाह का एक झूठा वादा था। जब तक यह आरोप न लगाया जाए कि ऐसे रिश्ते की शुरुआत से ही ऐसा वादा करते समय अभियुक्त की ओर से धोखाधड़ी का कोई तत्व था, इसे विवाह का झूठा वादा नहीं माना जाएगा। एक बार जब सद्भावपूर्वक वादा किया गया था और बाद में परिस्थितियों में बदलाव के बाद जब विभिन्न अन्य

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

कारणों से पक्षों के बीच संबंध खराब हो गए, तो वादे के ऐसे उल्लंघन को शारीरिक संबंध स्थापित करने की सहमति के प्रयोजन के लिए भ्रांति के रूप में नहीं माना जाएगा। जब सक्षम उम्र की महिला, विवाह के वादे के आधार पर उन शारीरिक गतिविधियों की पर्याप्त समझ रखती है जिनमें वह शामिल है, तो वह ऐसे शारीरिक संबंध से जुड़े जोखिमों को समझती है क्योंकि विवाह और विवाह के केवल एक वादे के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है।

44. वर्तमान मामले में, पीड़िता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि शुरुआत से ही आवेदक का विवाह करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, बलात्कार के अपराध को गठित करने वाले बुनियादी तत्व नहीं बनते हैं। वर्तमान मामले में जैसा आरोप लगाया गया है, विवाह का वादा आवेदक के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए किसी परिणाम का नहीं था। पीड़िता वादे के उल्लंघन के लिए आवेदक को दोषी नहीं ठहरा सकती क्योंकि आवेदक और पीड़िता के बीच रिश्ते की शुरुआत के समय वादा अपने आप में अस्तित्वहीन था।

45. साथ ही, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि एक वयस्क, और विशेष रूप से एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क जो स्वतंत्र और सचेत निर्णय लेने के बाद स्वेच्छा से एक रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करता है, उसे ऐसे रिश्तों से जुड़ी अंतर्निहित अनिश्चितताओं से अवगत होना चाहिए। यह न तो अपरिहार्य है और न ही सुनिश्चित है कि प्रत्येक रोमांटिक रिश्ता विवाह में ही परिणत होगा। असंगति या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बदलाव सहित विभिन्न व्यक्तिगत, व्यावहारिक या परिस्थितिजन्य कारणों से रिश्ते समाप्त हो सकते हैं।

46. यद्यपि कई व्यक्ति परिपक्वता के साथ रिश्ते के टूटने को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, किंतु ऐसे मामले हो सकते हैं जहां भावनात्मक संकट, निराशा या आहत भावनाएं बाद के कार्यों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थितियों में, कभी-कभी ऐसे आरोप उत्पन्न हो सकते हैं जो किसी आपराधिक अपराध के घटित होने के बजाय व्यक्तिगत शिकायत में अधिक निहित होते हैं। इसलिए न्यायालयों को ऐसे आरोपों की जांच करते समय सावधानी और विवेक बरतने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जहां अभिलेख पर मौजूद सामग्री वयस्कों के बीच सहमतिजन्य संबंध को दर्शाती है।
47. एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क को, सहमतिजन्य संबंध में प्रवेश करने पर, यह भी पहचानना चाहिए कि केवल किसी रिश्ते की विफलता को आपराधिक बनाने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। किसी रिश्ते का टूटना, अपने आप में, आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं देता है। ऐसे मामलों को संवेदनशीलता, संयम और इसमें शामिल दोनों व्यक्तियों की स्वायत्तता और प्राथमिकताओं के प्रति उचित सम्मान के साथ निपटाया जाना चाहिए।
48. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि पीड़िता एक बालिग और शिक्षित लड़की थी जब वह वर्ष 2014 में आवेदक के संपर्क में आई थी। पीड़िता ने अपने जवाबी शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 8 और 9 में स्वीकार किया कि उसके और आवेदक के बीच विवाह दिनांक 27.08.2019 को उनके रिश्तेदारों की उपस्थिति में संपन्न हुआ था। उसने आरोप लगाया कि उसने दबाव में विवाह के लिए सहमति दी थी। पूर्वगामी परिस्थितियों के आलोक में, अभिलेख पर मौजूद सामग्री के केवल अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों के बीच संबंध सहमतिजन्य थे, इसलिए आवेदक-अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है। इसलिए, यह स्पष्ट है

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

Translated version. Not for Legal Use

कि यदि पीड़िता ने आवेदक के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए पूरी सहमति दी थी, तो अभियुक्त-आवेदक बलात्कार के अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं है।

49. इसलिए, इस न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले में, यहाँ आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का कोई अपराध नहीं बनता है और वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़िता द्वारा इसलिए दर्ज कराई गई थी क्योंकि वह आवेदक के व्यवहार से नाराज थी। पीड़िता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद दिनांक 27.08.2019 को आवेदक से विवाह कर लिया, जिससे पुनः यह स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदक पर दबाव बनाने के लिए दर्ज कराई गई थी ताकि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह संपन्न हो सके।

50. ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों सहित विधिक प्रस्तावों को देखते हुए, यह न्यायालय पाता है कि वर्तमान मामला दाण्डिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने हेतु दुर्लभ से दुर्लभतम मामले के आधार पर खड़ा है, क्योंकि दाण्डिक कार्यवाही को जारी रखना व्यर्थ होगा और दाण्डिक क्षेत्राधिकार का घोर दुरुपयोग होगा। वर्तमान मामला भजन लाल मामले **(**उपर्युक्त**)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा चिन्हित दिशा-निर्देश (1), (5) और (7) में प्रगणित श्रेणियों के अंतर्गत पूरी तरह से आता है। शारीरिक हमले, गंदी गालियों और धमकी के अन्य आरोपों को किसी भी ठोस विवरण द्वारा समर्थित नहीं किया गया है। अतः बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन में मेरिट है और यह स्वीकार किए जाने योग्य है।

51. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के न्यायालय में लंबित थाना कर्नलगंज, जिला प्रयागराज के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 640/2019, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 376, 323, 504 एवं 506 से उद्भूत वाद संख्या 793/2021 (सीएनआर संख्या यूपीएडी040449212020) (राज्य बनाम संजय सरोज) की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ आरोप पत्र दिनांकित 08.01.2020 एवं संज्ञान/समन आदेश दिनांकित 04.09.2021 को आवेदक के विरुद्ध एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,)

18 जून, 2026

नितेंद्र

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण
"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"